विगशानी 355-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–बिदिशा

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा म.प्र. द्वारा प्रबंधक कमलेश शर्मा पुत्र श्री ज्वाला शर्मा निवासी लटेरी तहसीन लटेरी जिला बिदिशा (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बिदिशा

...... अनावेदक

दि. 13.2.15 को श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा प्रस्तुत

13-2-15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लटेरी जिला बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.01.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

13/2/15

1– यहकि, विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा का मध्य प्रदेश सहकारी समितियों के अन्तर्गत पंजीबद्व संस्था है। और इसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./बी.डी.एस./528 है।

2– यहकि, उपरोक्त संस्था को ग्राम लटेरी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1031 रकवा 0.063 है0 का बंटन विधिवत् रूप से मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवेदक संस्था के हित में किया गया है। तथा उसका प्रिमियम राशि 67,780/– रूपये तथा वार्षिक भू–भाटक राशि 5084/– रूपयें निर्धारित की गयी है। जो आवेदक संस्था द्वारा विधिवत् रुप से जमा की जा रही है, इस प्रकार आवेदक संस्था उक्त भूमि की भूमि स्वामी एवं अधिपत्य धारी है। उक्त भूमि की पश्चिमी दिशा पर पूर्व से बाउन्ड्री बॉल भी बनी हुयी है, इसी बाउन्ड्री बॉल के भीतर आवेदिका संस्था द्वारा विधिवत् अनुमति नगर पंचायत लटेरी से प्राप्त करके दो दुकानों के रूप में भवन का निर्माण किया गया। तत्तपश्चात् उत्तर पश्चिमी सीमा पर दरवाजा लगाकर शेष पश्चिमी दक्षिणी सीमा पर सीमा के भीतर नवीन भवन का निर्माण किया गया है।

3– यहकि, संस्था की उपरोक्त भूमि को अतिक्रमण की भूमि मानते हुये एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक 579/13 पेश की गयी थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

R-355-II/15 (विदेशन)
विधान | शासन

4.12.15.

4-12-15

आवेदक की अधिवक्ता श्री पी. के. त्रिवेदी उप० आये द्वारा प्रकरण आगे चालू रखे।

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.

रखने का प्रार्थना पत्र किया गया निरस्त मान्य किया जाता है। अत: प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

for

सदस्य

not present